राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 29 AUG 2023

::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान राज्य में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं उनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला न्यायालय, भिवाड़ी जिला खैरथल तिजारा (अलवर न्यायक्षेत्र)	भिवाड़ी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला न्यायालय, तारानगर जिला चूरू	तारानगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला न्यायालय, नोखा जिला बीकानेर	नोखा	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला न्यायालय, कुशलगढ जिला बांसवाड़ा	कुशलगढ	स्थानीय क्षेत्राधिकार
5	अपर जिला न्यायालय, जायल जिला नागौर (मेड़ता न्यायक्षेत्र)	जायल	स्थानीय क्षेत्राधिकार
6	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र)	रायसिंहनगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
7	अपर जिला न्यायालय, फागी जिला दूदू (जयपुर जिला न्यायक्षेत्र)	फागी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
8	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, खेतडी जिला नीम का थाना (झुंझुनू न्यायक्षेत्र)	खेतडी	स्थानीय क्षेत्राधिकार

राज्यपाल के आदेश से,

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायकं, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर/दूदू/जयपुर जिला/झुंझुनू, खैरथल तिजारा, अलवर,चुरू,बीकानेर, बांसवाडा, नागौर, अनुपगढ, नीम का थाना।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव